हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

सोलहवां सत्र

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017/3 भाद्रपद,1939 (शक्)

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तर:</u>**

    (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **<u>कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :</u>**

    (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

    (i) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 43 के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

    (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश का दसवां (अप्रैल 1, 2014 से मार्च 31, 2015) तथा ग्यारहवां (अप्रैल 1,2015 से मार्च 31, 2016) वार्षिक प्रतिवेदन;

    (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं , भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:5-59/2015-ईएलएन दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2017 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 ।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ0डी0एस0-ए(3)-4/2015 दिनांक 28.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2017 को प्रकाशित;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2015-16;और

(iv) हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 16वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** संस्था अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, चल चित्र एवं छाया अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए-(3)-1/2016 दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.07.2017 को प्रकाशित ।

(5) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर एवं ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(बी)2-1/2012(रूल्ज) टी0पी0 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.07.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(6) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह,सभापति,लोक लेखा समिति,(वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **99वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **176वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 285वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **35वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **12वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **नवम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **7वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **82वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्या:3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2014 के ऑडिट पैरा संख्या:3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **22वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **17वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **15वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(5) श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **24वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **भू-राजस्व व जिला प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **11वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित है ।

(6) श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(7) श्रीमती आशा कुमारी,सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(8) श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सदस्य, ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के **विशेष प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को वापिस लिया जाए ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 15)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता और अध्यापन तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसका निगमन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 16)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 14)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iv) श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 8)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984(1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 13)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 15)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता और अध्यापन तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसका निगमन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 16)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 14)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(v) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 11)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(vi) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(vii) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

(1) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भारी बरसात के कारण नामत: कुछेक क्षेत्रों की सड़कें व पुल क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय जनता को हो रही असुविधा बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित नामत: कुछेक उठाऊ जल सिंचाई योजनाओं को जनहित में शीघ्रातिशीण पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक स्थानों के लिए सरकारी/निजी बस सेवा उपलब्ध न होने से विद्यार्थियों व स्थानीय जनता को हो रही असुविधा बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया को पंजाब तथा हरियाण की तर्ज़ पर सरल बनाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री वीरेन्द्र कंवर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त प्रदेश में विशेषकर जिला ऊना के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के पलायन से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004
दिनांक: 24 अगस्त, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सोलहवां सत्र

शुक्रवार, 25 अगस्त 2017/3 भाद्रपद, 1939 (शक्) के लिए निर्धारित प्रश्नों की सूची का

'शुद्धिपत्र'

प्रश्न संख्या	**शुद्धियां**

तारांकित प्रश्न

*4146	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री को **"स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री"** पढ़ा जाए।

शिमला - 171004
दिनांक : 24 अगस्त, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

****